Indo-Nepal irrigation projects

117. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the terms of the treaty executed recently between the Prime Ministers of India and Nepal, regarding the exploitation of the water resources of the Mahakali river;

(b) the funds expected to be allocated for this purpose by India; and

(c) by when the different projects are expected to be started adjacent to the borders of the two countries?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) The important aspects of the Treaty "The Integrated Development of the Mahakali River including Sarda Barrage, Tanakpur Barrage and Pancheshwar Project" signed on 12.2.96 are:

1. Existing arrangements for supply of water to Nepal from Sarda barrage to be continued;

2. From the Tanakpur Barrage, water supply of 1000 cusecs in the wet season and 300 cusecs in the dry season as against 150 cusecs under the earlier agreement with Nepal;

3. Supply of electric power of 70 Million Kwh to Nepal from Tanakpur power station against the earlier agreement to supply 20 Million Kwh, free of cost;

4. Implementing the Pancheshwar Multi-purpose project on Mahakali river in accordance with the Detailed Project Report (DPR) being jointly prepared by both the Parties, as an Integrated Project with power stations of equal capacity on each side of the river. The total energy generated shall be shared equally between the Parties. The DPR shall be finalised within six months from the date of entry into force of treaty; and

5. Constitution of a Mahakali River Commission to be composed of an equal number of representatives of both the countries to make recommendations to both the parties on the steps necessary to implement the provisions of the Treaty.

(b) Agreement for financing and implementation including establishment of the Pancheshwar Development Authority shall be negotiated and finalised within one year from the finalisation of DPR and the project shall be aimed to be completed within 8 years from the date of the agreement for its implementation subject to provisions of DPR. Both the countries shall share the cost proportionate to the benefits accuring to each which shall be worked out while finalising the detailed project report. Both the countries have agreed to endeavour to mobilise finance for the project to meet their respective shares.

(c) The Pancheswar Project is expected to be started within one year and six months from the date of entry into force of the treaty.

विकलांगों और सैनिकों की विधवाओं के लिए डी० डी० ए० फ्लैटों का बिना-बारी आवंटन

118. श्री सोमपाल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों, सैनिकों की विधवाओं और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) के फ्लैटों के बिन-बारी आवंटन किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार को उपर्युक्त श्रेणियों के अतर्गत श्रेणी-वार कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) ये फ्लैट किन व्यक्तियों को आवंटित किये गए तथा इस प्रकार आवंटित फ्लैटों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ आवंटन मनमाने तरीके से किए गए है और निर्धारित प्राथमिकताओं को अनदेखा कर दिया गया है; और

(च) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच करायी है अथवा कराने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्यमंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) (क) और (ख): जी, हां। विकलांगों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और आतंकवादी घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को डी० डी० ए० फ्लैटों के बिना बारी आवंटन का मौजूदा दिशानिर्देशों में प्रावधान है। इन दिशा-निर्देशों में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों, कलकारों, वैज्ञानिकों, शौर्यपदक विजेता सैन्य कर्मियों और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा के विद्वानों को भी बिना बारी आवंटन का प्रावधान है। डी० डी० ए० फ्लैटों के बिना-बारी आवंटन के आवेदनों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के उप राज्यपाल होते हैं। समिति तदर्थ आवंटन हेतु उपयुक्त समझे गये किसी अन्य सुपात्र व्यक्ति के मामले पर भी विचार कर सकती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है:—

(I) जनता/एल०आई०जी०/एम०आई०जी० 387

(II) एस०एफ०एस० (स्वावित्त पोषित) 313

(घ) गत तीन वर्षों में बिना बारी आबंटित डी० डी० ए० फ्लैट इस प्रकार हैं:—

(I) जनता/एल०आई०जी०/एम०आई०जी० 64

(II) एस०एफ०एस० 132

आबंटन प्राप्त व्यक्तियों के नाम विवरण में हैं (नीचे देखिये)

(ङ) और (च): चूंकि डी०डी०ए० फ्लैटों के बिना बारी आबंटन के मामलों पर, सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक "अधिकार प्राप्त समिति" द्वारा विचार किया जाता है, अतः जांच पड़ताल का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केलैण्डर वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान डी० डी० ए० के जनता/एल०आई०जी०/एम०आई०जी० फ्लैटों के बिनाबारी आवंटन प्राप्त व्यक्ति (श्रेणी-वार)

क्र०सं०	नाम	बिनाबारी आबंटन
	1993	
1.	श्रीमती तलत हरून	सदाशयता आधार (चिकित्सा)
2.	श्री सुरम चन्द	शारीरिक अपंगता
3.	श्री कुलवन्त राय	सदाशयता आधार (सेवानिवृत)
4.	श्री ओ० पी० भाम्बरी	-वही-
5.	श्रीमती गीता जोरजे	विधवा
6.	श्री आर० पी० एस० वर्मा	शारीरिक अपंगता
7.	श्री राजिन्द्र सिंह	-वही-
8.	श्री बृज मोहन शर्मा	सदाशयता आधार (चिकित्सा)
9.	श्री प्रमोद कुमार साहनी	-वही-
10.	श्रीमती शीला देवी तिवारी	विधवा
11.	श्रीमती सुमन जैन	विधवा
12.	श्रीमती पुष्पा दत्ता	विधवा
13.	श्री राम नाथ भारद्वाज	सदाशयता आधार (वृद्धवस्था)
14.	श्री राज किशोर	सदाशयता आधार (चिकित्सा बुढ़ापन)
15.	श्रीमती मोहिनी गर्ग	विधवा
16.	श्रीमती शशि सहगल	सदाशयता आधार (कैंसर रोगी)

क्र०स०	नाम	बिनाबारी आधंटन
17.	श्रीमती एच० एम० साल्सिस्	विधवा
18.	श्रीमती मधु भाटिया	विधवा
19.	श्रीमती श्याम देवी मलिक तथा श्री हरवंश मलिक	विधवा
20.	कुमारी •आर० कौर तथा कुमारी पी० कौर	शारीरिक अपंगता
21.	श्रीमती सुनिता मेहता	विधवा
22.	श्री अंसार हरवानी	सदाशयता आधार
23.	श्रीमती आशा आनन्द	-वही- (पति दिल का रोगी)
24.	श्रीमती जय जयवन्ती पारियम	विधवा
25.	श्री अनिल कुमार मरवाहा तथा श्री जे० के० मरवाहा	सदाशयता आधार
26.	श्री जे० के० चावला	सदाशयता आधार (पुत्री शारीरिक अपंग)
27.	श्री वेद प्रकाश	सदाशयता आधार (बीमार पत्नी तथा बड़ा परिवार)
28.	श्री सतीश कुमार	अर्जुन विजेता
29.	श्री एच० एन० मुखर्जी	सदाशयता आधार
30.	श्रीमती रीना दैनिश	विधवा
31.	श्री जस बहादुर थापा	वीर चक्र प्राप्त
32.	श्रीमती शीला रायसिंघानी	विधवा
33.	श्री सुखदेवी	सदाशयता आधार (पति टी० बी० रोगी)
34.	श्रीमती बन्दना	विधवा
35.	श्रीमती मधु शर्मा	विधवा
36.	श्रीमती कमलेश	विधवा
37.	श्रीमती शशि बाला श्रीवास्तव	विधवा
38.	श्री नागू राम	सदाशयता आधार
39.	श्रीमती अनिता रानी	विधवा
40.	श्री महेन्द्र सिंह	सदाशयता आधार
41.	श्री पी० एन० किलाम	-वही-
42.	डा० अल्का बख्शी	विधवा
43.	श्रीमती बीना साहनी	विधवा
44.	श्री सुरेश अजमानी	शारीरिक अपंगता (अन्धा)
45.	श्रीमती बिमला अनेजा	-वही-
46.	श्रीमती किरन त्रिपाठी	विधवा
47.	श्रीमती सरला देवी	विधवा
48.	श्री बुद्धि प्रकाश चतुर्वेदी और श्रीमती चन्द्रकान्ता चतुर्वेदी	शारीरिक रूप से अपंग
49.	श्रीमती रेणू जोशी	विधवा
50.	श्रीमती कल्पना रानी मित्तल	शारीरिक अपंग
51.	श्री एम० एन० कौल	सदाशयता आधार
52.	श्री साम दत्त शर्मा	शारीरिक रूप से अपंग
53.	श्रीमती सरस्वती देवी	विधवा
54.	कुमारी रेनू सैनी	शारीरिक अपंग
55.	श्रीमती ओम धारा	विधवा

1	2	3
56.	श्रीमती शीला देवी	विधवा
57.	श्री कुलानन्द	शारीरिक अपंग
58.	श्रीमती रशमि देवी	विधवा
59.	श्री मुरारी लाल	शारीरिक अपंग
60.	श्रीमती सपना	विधवा
61.	श्री तपेशवर प्रसाद	शारीरिक अपंग
62.	श्रीमती प्रभा	विधवा

1995

63.	श्री अमरदीप झा	विधवा
64.	कुमारी शकुन्तला अग्रवाल	शारीरिक अपंग

1.1.93 से 31.12.1993 तक बिना बारी एस० एफ० एस० फ्लैट आबंटन प्राप्त् व्यक्ति

क्र०स०	उम्मीदवार का नाम	आधार
1.	सी० सन्ध्या	सदाशयता
2.	जशबीर सिंह	-वही-
3.	सगुना स्वामीनाथन	विधवा
4.	हरकमलजीत सिंह	सदाशयता
5.	अंजली इसार	विधवा
6.	मंजुला मलिक	-वही-
7.	सीता वर्मा	-वही-
8.	ए०सी० शर्मा	शारीरिक अपंग
9.	राकेश रणा	सदाशयता
10.	एस० एस० विरक	-वही-
11.	जगमोहन सपरा	-वही-
12.	जी० गोपालन	-वही-
13.	मीना गुलाम कादिर	-वही-
14.	आशा बवेजा	विधवा
15.	टी० आर० मालाकार	सदाशयता
16.	रीतू संकला	विधवा
17.	मोहिन्द्र लाल	सदाशयता
18.	सन्तोष कुमारी	विधवा
19.	सुदीप सिंह	-वही-
20.	गोधा देवी	-वही-
21.	प्रिया दबीर	-वही-
22.	जोगा तेजी	-वही-
23.	एम० एन० शेखन	सदाशयता
24.	बिमला त्यागी	-वही-

क्र०स०	उम्मीदवार का नाम	आधार
25.	अनिता गौड	-वही-
26.	के० जी० चटर्जी	-वही-
27.	उषा सिंह	विधवा
28.	आचार्य गणपति राय	सदाशयता
29.	श्रीमती पुनम तलवार	विधवा
30.	अनिल कुमार तलवार	सदाशयता
31.	लक्ष्मी कुमार	विधवा
32.	सत्यवती	-वही-
33.	ए०एस० नरूला	सदाशयता
34.	त्रिपत कौर	विधवा
35.	मंजीत धालीवाल	-वही-
36.	सिडनी रेबिरो	सदाशयता
37.	सुगनथा वेंकटरमण	विधवा
38.	कैलाश पति	-वही-
39.	सुभाष चन्द	शारीरिक रूप से अपंग
40.	उधव दास	-वही-
41.	राम सिंह खिंची	-वही-
42.	मंजू अग्रवाल	-वही-
43.	बी० के० शर्मा	-वही-
44.	अनूप कुमार सहाय	-वही-
45.	आशा ठाकुर	-वही-
46.	आशा लता	-वही-
47.	किरन सिंघल	-वही-
48.	एम० के० रस्तोगी	-वही-
49.	आर० के० शर्मा	-वही-
50.	उषा सिंह	-वही-
51.	बृजेश चड्ढा	-वही-
52.	दर्शन लाल	-वही-
53.	वी० पी० शर्मा	-वही-
54.	पार्वती राम	-वही-
55.	बिजेन्द्र गोस्तीगां	-वही-
56.	पी० के० विकास	-वही-
57.	धर्म गाज सिंह	-वही-
58.	शेरी आर्य	-वही-
59.	अनिल कपूर	-वही-
60.	जोगिन्द्र कौर	-वही-
61.	दर्शना वशिष्ठ	विधवा
62.	के० सूर्यनारायनयन	सदाशयता
63.	जी० एस० रणधावा	-वही-
64.	एस० के० श्रीवास्ताव	-वही-
65.	आई० के० बड़ठाकुर	-वही-
66.	के० के० कुरील	-वही-

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	आधार
67.	चान्दरानी	-वही-
68.	प्रवीण दावर	-वही-
69.	मधुमिता बिष्ट	-वही-
70.	रामेश्वर तिवारी	-वही-
71.	अन्नापामजीत कौर	-वही-
72.	जयश्री जोशी	-वही-
73.	गीता रेनबोथ	सदाशयता
74.	शीला चमन	-वही-
75.	अरूणा सिंह	-वही-
76.	रितु नाथ	-वही-
77.	लेखा बहल	-वही-
78.	बाकीन पार्टीन	विधवा
79.	चंचल	सदाशयता
80.	एम. ए. खान	-वही-
81.	डा॰ बरसाने लाल चतुर्वेदी	-वही-
82.	बिशम्बर सिंह	-वही-
83.	श्रीमती ऊमा कौल	विधवा
84.	श्रीमती दीना खन्ना	-वही-
85.	नरेश कुमार	सदशयता
86.	श्रीमती सविता शर्मा	विधवा
87.	श्रीमती शीला देवी	-वही-
88.	श्रीमती कृष्णा मंलगंकर	-वही-
89.	श्रीमती स्नेह लता गोगिया	-वही-

1.1.94 से 31.12.94 तक बिनाबारी एस.एफ.एस. फ्लैट आबंटन प्राप्त व्यक्ति

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	आधार
1.	श्रीमती रचना लाम्बा	शारीरिक अपंग
2.	श्रीमती रेनू बाला गुप्ता	विधवा
3.	श्रीमती रेनू रैना	-वही-
4.	श्री कृष्णा	-वही-
5.	श्रीमती विजय बाला शर्मा	-वही-
6.	श्रीमती किम नगूरद्दीनलियन सनत	-वही-
7.	डा. एम.के. मगुशाइन	सदाशयता
8.	ओम प्रकाश शर्मा	-वही-
9.	धमेन्द्र सिंह यादव	-वही-
10.	एम. वेनुगोपाला राव	-वही-
11.	श्रीमती निर्मल भिगोय	-वही-
12.	श्रीमती इन्दिरा गिल	-वही-
13.	श्रीमती वीना शशि	विधवा

1	2	3
14.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-वही-
15.	कुमारी पुनित	शारीरिक अपंग
16.	अनिल खान	सदाशयता
17.	श्रीमती वीना प्रसाद	विधवा
18.	अशोक पटेल	सदाशयता
19.	बृज रानी शर्मा	शारीरिक अपंग
20.	वीरेन्द्र प्रभाकर	सदाशयता
21.	कैप्टन अदनीराज सिंह	-वही-
22.	राजिन्द्र सिंह	-वही-
23.	श्रीमती आर.एम. मैथ्यू	-वही-
24.	श्रीमती यशमिन सैफुल्ला	-वही-
25.	निराला	-वही-
26.	जयन्त भट्टाचार्यजी	-वही-
27.	राम रतन राम	-वही-

1.1.95 से 31.12.95 तक बिना बारी एस०एफ०एस० फ्लैट आबंटन प्राप्त व्यक्ति

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	आधार
1.	श्री वज़ात अबीब उल्लाह	सदाशयता
2.	श्री रमन त्रिवेदी	-वही-
3.	श्री तीर्थ राज	-वही-
4.	श्री दलजीत सिंह पनुआ	-वही-
5.	श्रीमती रशमी बख्शी	विधवा
6.	श्री मानशेर सिंह	सदाशयता
7.	श्री एन० दामोदरन नायर	-वही-
8.	श्रीमती लक्ष्मी सुन्दरन	विधवा
9.	सुश्री धुनेश कुमार	सदाशयता
10.	श्री अतुल वारसन	-वही-
11.	श्रीमती संगीता सिंह	विधवा
12.	सुश्री डी० डोगरा	सदाशयता
13.	श्रीमती बन्दना सिंह	विधवा
14.	श्रीमती अनिता भल्ला	-वही-
15.	श्रीमती वीना शाही	-वही-
16.	श्रीमती गीता आर० चौपड़ा	-वही-

विश्व पुस्तक मेला

*119. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का उदघाटन करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में उद्घाटन भाषण करने के लिए विवश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस मेले में भारतीय प्रकाशकों को पेश आ रही समस्याओं पर कोई चर्चा की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिन्धु भोई): (क) जी, नहीं। किसी को इस प्रकार विवश नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रकाशकों की रुचि के विषयों पर चर्चा हुई जैसे समीक्षा पत्रों की भूमिका, प्रतिलिप्यधिकार और लाइसेंसिंग, इमदाद अधिकारों की बिक्री, ग्रामीण पाठकों को पुस्तकों की उपलब्धता, कागज़ की कमी, देश-विदेश में पुस्तकों का विपणन, इत्यादि।

Functioning of Shastri Indo-Canadian Institute

*120. SHRI V. GOPALSAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of complaints received by Government in the past from Members of Parliament and others regarding